Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 19-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 8, 2018 (VAISAKHA 18, 1940 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2018

पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009.

संख्या 3474(CFMS)–प० पा०–4–2018/6069.— पशु संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोग निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का 27) की धारा 6 की उप धारा (1) के साथ पठित धारा 7 की उप–धारा (1) तथा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए हरियाणा सरकार द्वारा फरीदाबाद जिले को अश्व प्रजाति के पशुओं में गलेंडर्स रोग से बचाव, नियन्त्रण के लिए एतद् द्वारा "नियन्त्रित क्षेंत्र" घोषित किए जाते हैं तथा घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के अन्य पशुओं की, जहां वे इन जिलों में रखे गए हैं, से किसी अन्य स्थान पर राज्य के अन्दर या बाहर आवाजाही को प्रतिबन्धित किया जाता है तथा इस जिले में इन पशुओं की दौड़, मेले, प्रदर्शनी, खेल के आयोजन तथा एकत्रित करने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाता है।

(हस्ता०)...,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
पशुपालन एवं डेयरी विभाग।